कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली- 110021

सीपीपी पोर्टल निविदा आई.डी: 2021_APEDA_608971_1

एपीडा और बासमती निर्यात विकास संगठन (बीईडीएफ) के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु वित्तीय मामलों से संबंधित परामर्श उपलब्ध करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में संलग्न होने के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु आईसीएआई के साथ पंजीकृत सनदी लेखाकार फर्मों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।

इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर 5 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में आवेदनों को उपर्युक्त पते पर महाप्रबंधक (बजट एवं वित्तीय) को भेजा जाए। हमारी वेबसाइट www.apeda.gov.in पर पात्रता मानदंड, कार्य का क्षेत्र और अन्य विवरण घोषणाएं शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है।

**(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। एपीडा को अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

**(ख) बासमती निर्यात विकास संगठन (बीईडीएफ):** बासमती निर्यात विकास संगठन (बीईडीएफ) की स्थापना एपीडा द्वारा की गई है। यह बासमती चावल के संवर्धन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है जिसका प्रशिक्षण फार्म सह प्रयोगशाला मोदिपुरम, मेरठ में स्थित है और इसका कार्यालय तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110021 में स्थित है।

एपीडा और बीईडीएफ **(बाद में प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित)** को अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) आवेदनों और अन्य वित्त और लेखा परीक्षा संबंधी मामलों की जांच में सहायता करने के लिए, दो साल की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न होने के लिए कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत योग्य सनदी लेखाकार फर्मों **(बाद में दूसरी पार्टी के रूप में संदर्भित)** से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

**1) बोलियों की प्रस्तुति हेतु पात्रता**

केवल निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता रखने वाली सीए फर्मों द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत की जाएं:

i. कम से कम 5 वर्षों के लिए आईसीएआई के साथ पंजीकृत सीए फर्म हो और प्रमाण पत्र / प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए।

ii. सीए फर्म का पिछले प्रत्येक तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान न्यूनतम टर्नओवर रूपए 50 लाख (केवल पचास लाख रूपए) हो। उसी अवधि के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं।

iii. फर्म के भारत में कम से कम 5 कार्यकारी भागीदार हो।

iv. सीए फर्म जो पहले से ही एपीडा के साथ आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर चुकी हैं, आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

v. सीए फर्म का दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कार्यालय हो।

vi. नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 50,000/- रुपए (केवल पचास हज़ार रुपए) के डीडी के रूप में ईएमडी प्रस्तुत की जाए।

vii. एक स्व-प्रमाणित उत्तरदायित्व प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि फर्म को कभी भी किसी विभाग/संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और यह आज तक लागू नहीं है।

**2) कार्य का क्षेत्र - किए जाने वाले कार्य:-**

1. **प्रथम पक्ष** की विभिन्न वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निर्यातकों के वित्तीय सहायता दावों को ऑन-लाइन सिस्टम (कम्प्यूटरीकृत) और भौतिक दस्तावेजों पर संसाधित करना और योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान की अनुशंसा करना।

2. चयनित सीए फर्म **(द्वितीय पक्ष) प्रथम पक्ष** के कार्यालय: तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016 में नियमित आधार पर एक योग्य सीए और दो सहायकों की प्रतिनियुक्ति करेगी जो निर्यातक लाभार्थियों और संबंधित एजेंसियों के दावों को संसाधित करने और अंतिम रूप देने के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (कार्यालय समय के अनुसार) काम करेंगे। **द्वितीय पक्ष** द्वारा सामान्य स्थिति में किसी भी लंबित मामलों से बचने के लिए दैनिक आधार पर मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। तथापि, अत्यावश्यक परिस्थितियों में, **द्वितीय पक्ष** के कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए छुट्टियों पर काम कर सकते हैं। सीए/सहायकों की आवश्यक संख्या की अनुपस्थिति के मामले में, आनुपातिक शुल्क काटा जाएगा।

3. जीएसटी, आयकर आदि सहित **प्रथम पक्ष** और उसके कर्मचारियों के कर निहितार्थ का निर्धारण करें।

4. **प्रथम पक्ष** के सभी प्रकार के आयकर/जीएसटी रिटर्न फाइल करें और सुनवाई में भाग लें, यदि कोई हो।

5. **प्रथम पक्ष** के ठेकेदारों, सलाहकारों और कर्मचारियों आदि की टीडीएस कटौती पर सलाह देना।

6. **प्रथम पक्ष** की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं पर वित्तीय दृष्टिकोण से परियोजना परामर्श प्रदान करना।

7. वित्तीय दृष्टिकोण से अनुबंधों का विश्लेषण और पुनरीक्षण करना।

8. प्राप्तियों और भुगतानों की निगरानी करना।

9. **प्रथम पक्ष** के सभी खातों का मिलान और तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता और अन्य विवरण तैयार करना।

10. लेखांकन और वित्तीय मामलों और सौंपे गए अन्य वित्तीय संबंधित कार्यों पर सलाह देना।

11. स्थापित नीतियों, योजनाओं और प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा का पता लगाना।

12. वित्तीय पहलुओं में परिचालन सुधार की अनुशंसा करना।

13. यदि आवश्यक हो तो क्षेत्रीय कार्यालयों सहित प्रथम पक्ष के वित्तीय कार्यों का निरीक्षण, समाधान, समीक्षा और मूल्यांकन करना।

14. प्रथम पक्ष द्वारा सौंपे गए वित्तीय मामलों से संबंधित द्वितीय पक्ष के परामर्श से कोई अन्य कार्य करना।

15. उपरोक्त मामलों में प्रथम पक्ष के निर्णय और विचारों को अंतिम माना जाएगा।

**3) प्रथम पक्ष से सहायता:-**

**प्रथम पक्ष** द्वारा **द्वितीय पक्ष** के चार व्यक्तियों के लिए आवश्यक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी और कार्यस्थल उपलब्ध किया जाएगा।

**द्वितीय पक्ष** को उनके व्यवसयी कौशल आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यभार/विशिष्ट कार्य उत्तरदायित्व का आवंटन, **प्रथम पक्ष** के विवेकाधिकार पर किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, **प्रथम पक्ष** द्वारा फर्म के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में एक महीने का नोटिस देकर चयनित बोलीदाता के अनुबंध को समाप्त करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। दोनों पक्षों में से कोई भी इसके बदले तीन महीने का नोटिस या शुल्क देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

उपरोक्त व्यवसायी सेवाएं टीम के सदस्यों द्वारा उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार और लागू नियमों और विनियमों और व्यवसायी आचार संहिता और उनके सदस्यों के लिए निर्धारित व्यवसायी निकायों / संघ / संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएंगी। तथापि, **प्रथम पक्ष** द्वारा बुलाए जाने पर, प्राथमिकता के आधार पर **प्रथम पक्ष** को उत्तर देना **द्वितीय पक्ष** का कर्तव्य होगा।

**4) तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने हेतु दिशानिर्देश**

**फर्म के लेटरहेड** पर सीलबंद तकनीकी और वित्तीय बोलियां अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में इस विज्ञापन के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाए कि सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

**लिफाफा 1: तकनीकी बोली: फर्म के लेटरहेड पर निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों को शामिल करने के लिए "आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न होने के लिए तकनीकी बोली" को सब्स्क्राइब करें।**

i. फर्म का नाम और पता

ii. आईसीएआई द्वारा जारी फर्म प्रमाण पत्र की एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ स्थापना की तिथि।

iii. कार्यरत भागीदारों का विवरण (सदस्यता संख्या के साथ सूची संलग्न करें)।

iv. पिछले प्रत्येक तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए फर्म का वार्षिक टर्नओवर।

v. फर्म की अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र।

vi. फर्म की जीएसटी संख्या (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)।

vii. पिछले अनुभव के साथ फर्म का संक्षिप्त विवरण।

viii. एक स्व-प्रमाणित उत्तरदायित्व प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि फर्म को कभी भी किसी विभाग/संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

ix. नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 50,000/- रुपए (केवल पचास हज़ार रुपए) के डीडी के रूप में ईएमडी प्रस्तुत की जाए।

x. कोई अन्य जानकारी।

नाम और हस्ताक्षर के साथ मुहर और एफआरएन।

**लिफाफा 2: वित्तीय बोली: फर्म के लेटरहेड पर निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों को शामिल करने के लिए "आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न होने के लिए तकनीकी बोली" को सब्स्क्राइब करें।**

| क्र.सं. | गतिविधि | शुल्क रूपए में |
|---|---|---|
| 1 | एक योग्य सीए की प्रतिनियुक्ति के लिए मासिक शुल्क | |
| 2 | दो सहायकों की प्रतिनियुक्ति के लिए मासिक शुल्क | |
| 3 | कुल | |
| 4 | जीएसटी | |
| 5 | कुल योग | |

वित्तीय कोटेशन मासिक आधार पर भारतीय रुपए में हो। सभी लागू करों का अलग से उल्लेख किया जाए, यदि कोई हो।

उपरोक्तानुसार लिफाफा 1 और लिफाफा 2 वाले बाहरी मुहरबंद लिफाफे पर "आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए तकनीकी और वित्तीय बोली" लिखा हो और इसमें फर्म का नाम, डाक पता, फैक्स, ई-मेल, टेलीफोन नंबर हो।

5) **चयन प्रक्रिया**

एपीडा के कार्य के दायरे को समझने के लिए, प्रक्रिया शुरू होने से पहले 17 जून को पूर्वाह्न 12.00 बजे प्री ऑफर वर्चुअल मीटिंग आयोजित की जाएगी। सभी इच्छुक फर्म एपीडा को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले स्पष्टता के लिए इस बैठक में भाग ले सकते हैं। हालांकि, प्री ऑफर मीटिंग में भाग नहीं लेने वाली फर्में अपने तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगी। बैठक का लिंक नीचे दिया गया है:-

https://apeda.webex.com/apeda/j.php?MTID=mb17c5f905f46b5c3af3c7b1ba5d9ec53
गुरुवार, 17 जून, 2021 12:00 am | 1 घंटे | (UTC+05:30) चेन्नई,
कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली
बैठक नंबर: 184 693 0989
पासवर्ड: ACC@321

एपीडा में एक समिति 7 जुलाई 2021 को फर्मों की प्रारंभिक जांच करेगी और तकनीकी बोली के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली फर्मों को शॉर्टलिस्ट करेगी।
यह ध्यान दिया जाए कि संदर्भ की शर्तों की तकनीकी आवश्यकता के अनुसार बोली जमा नहीं करने वाली फर्मों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

शॉर्ट लिस्ट किए गए फर्मों को एपीडा द्वारा किसी विशेष दिन और समय पर एपीडा कार्यालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा और फिर उनकी वित्तीय बोलियां उनके सामने खोली जाएंगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संदर्भ की शर्तों की वित्तीय बोली आवश्यकता के अनुसार बोली जमा नहीं करने वाली फर्मों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**सबसे कम कीमत उद्धृत करने वाली फर्म का चयन किया जाएगा।**

चयनित फर्म को 1 अगस्त 2021 से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अनुबंध की अवधि के लिए एपीडा के पास निष्पादन गारंटी रखी जाएगी। यदि किसी फर्म का चयन न्यूनतम प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है, लेकिन फर्म प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है या असाइनमेंट लेने से इनकार करती है या एपीडा द्वारा नियुक्त फर्म अपने स्वयं के अनुबंध की अवधि से कम की अवधि के लिए काम करती है या एपीडा के साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करती है तो उसकी पूर्ण निष्पादन गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

चयन समिति बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा के पास कीमतों को कम करने के लिए चयनित फर्मों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2021 शाम 5.00 बजे तक है। पूर्ण आवेदनों को निम्नलिखित पते पर भेजा जाए: -

महाप्रबंधक (बजट और वित्त)
एपीडा
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र
खेल गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
दूरभाष - 011-41486015
ई-मेल - ssnayyar@apeda.gov.in